Email :eeruurapdyay@gmail.com,

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 569 / वनभूमि / 25 दिनांक 23-02-2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना (1.234 है0) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1787/12–1(2) दिनांक 31.12.2021 के सन्दर्भ में आप द्वारा अवगत कराई गई कमियों का निराकरण आख्या निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

क0सं0	कमियां	आख्या
01	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–2 भाग –1 में दिनांक एवं स्थान नहीं भरा गया है।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–2 भाग–1 मं दिनांक एवं स्थान भर दिया गया है।
02	प्रस्तावित परियोजना में निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि 1.00 है0 से अधिक है। जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी वन भूमि अर्थात 1.234 ha. X 2= 2.468 ha. आरक्षित भूमि (रतनपुर क0सं0 07) चयनित कर दी गई है। जिसके डिजिटल/टोपेशीट मानचित्र प्रस्ताव मं संलग्न है। किन्तु चयनित क्षेत्र का क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं वृक्षारोपण प्राक्कलन (प्रपत्र–35 एवं 36) संलग्न नहीं है। अतः सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी से उक्त प्राक्कलन एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं वृक्षारोपण प्राक्कलन (प्रपत्र–35 एवं 36) हेतु आवश्यक कार्यवाही वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली रेंज द्वारा की जानी है। सम्बन्धित से कार्यवाही हेतु अनुरोध किए जाने पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। तदोपरान्त ही कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।
03	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के डिजिटल/टोपोशीट मानचित्रों में परियोजना का नाम स्पष्ट नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के डिजिटल/टोपोशीट मानचित्रों को स्पष्ट परियोजना के नाम सहित संलग्न कर दिया गया है।
04	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–41) मं उल्लेख किया है कि परियोजना से उत्पादित मलवें के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन सहित संलग्न की जा रही है। परन्तु प्रमाण पत्र के साथ योजना मानचित्र तथा विवरण संलग्न नहीं है। रिक्त प्रपत्र हस्ताक्षर कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र प्रमाण पत्र (41) का उचित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
05	प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन (प्रपत्र–44) सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन (प्रपत्र–44) वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली रेंज द्वारा निर्गत किया जाना है। सम्बन्धित से कार्यवाही हेतु अनुरोध किए जाने पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। तदोपरान्त ही कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

भवदीय

(नवल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

AE Sir Letter Pad
"जल संचय– जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदुषित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी – जल स्त्रोतों को प्रदुषित करना दण्डनीय अपराध है।